रेफरेंस/एल.आर./6136/2005/नागौर
सरकार बनाम भूरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–
1–श्री शौकिन्दलाल गुर्जर, उप राजकीय अधिवक्ता, प्रार्थी।
2–अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये, एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय दिनांक :15.4.2021

यह रेफरेंस अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेंस प्रार्थना पत्र संख्या 27/2005 में पारित निर्णय दिनांक 10–08–2005 द्वारा अभिशंषा करते हुए राजस्व मण्डल को प्रेषित किया है।

2– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार, नांवा की ओर से एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना में इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि मौजा लूणवा के मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2008 के अनुसार खसरा नं0 188 रकबा 143 बीघा 19 बिस्वा किस्म आराजी गै0मु0 पायतन सिवायचक राजकीय भूमि दर्ज थी। उक्त प्रश्नगत आराजी खसरा नं0 27 में से भूरा पुत्र भगूता बलाई को 10 बीघा एवं हजारी, हमीरा पि0 गोलू गंवारिया को 12 बीघा नामान्तरकरण सं0 422 के जरिये खातेदारी दर्ज की गई। जबकि उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत वर्णित ऐसी भूमियां हैं जिस पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते हैं। अतः विधि विरूद्ध खातेदारी दर्ज होने से उसे निरस्त की जाकर प्रश्नगत आराजी को पुनः राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया लेकिन कोई भी उपस्थित नहीं आये। अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय अधिवक्ता पैरोकार सरकार/प्रार्थी की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 10–08–2005 को यह रेफरेंस राजस्व मण्डल को प्रस्तुत किया गया है।

3– योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रश्नगत आराजी खसरा नं0 27 रकबा 143–19 बीघा किस्म जमीन पायतन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत वर्णित ऐसी भूमियों में से हैं जिस पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते हैं। अतः विधि विरूद्ध खातेदारी दर्ज होने से उसे निरस्त की जाकर प्रश्नगत आराजी को पुनः राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज किया जावें। अतः रेफरेंस को स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि को पुनः राजकीय सिवायचक भूमि राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें तथा स्वीकृत नामान्तरकरण सं0 422 को निरस्त किया जावें।

4– मैंने योग्य उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी के तर्को पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली व उपलब्ध रेकार्ड का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

5– प्रश्नगत रेफरेंस में राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत आराजी खसरा नं0 27 रकबा 143–19 बीघा किस्म भूमि गै0मु0 पायतन में से भूरा पुत्र भगूता को 10 बीघा व हजारी, हमीरा पि0 गोलू गंवारिया को 12 बीघा भूमि नामान्तरकरण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सं0 422 से खातेदारी प्रदत्त की गई है जबकि प्रश्नगत भूमि गै0मु0 पायतन लोक उपयोग की भूमि होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में वर्णित भूमियों में से है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय दिनांक 2-8-2004 अब्दुल रहमान बनाम सरकार की अनुपालना में पूर्व में सिवायचक भूमि को विधि विपरीत दर्ज खातेदारी निरस्त योग्य मानी है। अतः विधि विरूद्ध खातेदारी दर्ज होने से उसे निरस्त की जाकर प्रश्नगत आराजी को पुनः राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज किया जावें। अप्रार्थीगण की खातेदारी में की गई भूमि की किस्म राजकीय सिवायचक भूमि है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि है। उपरोक्त विधिक स्थिति के परिपेक्ष्य में हम राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत रेफरेंस को स्वीकार किया जाना उचित समझते है। 6- फलस्वरूप यह रेफरेंस स्वीकार किया जाता है। आराजी ख0 नं0 27 रकबा 143-19 बीघा किस्म जमीन गै0मु0 पायतन में से भूरा पुत्र भगूता भाम्बी को 10 बीघा व हजारी, हमीरा पि0 गोलू गंवारिया को 12 बीघा मौजा लूणवा की अप्रार्थीगण को दी गई खातेदारी निरस्त कर उक्त की पालना में भरे गये नामान्तकरण सं0 422 निरस्त कर प्रश्नगत भूमि को पूर्वानुसार हाल राजस्व रेकार्ड में **राजकीय सिवायचक भूमि** दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। 7- आदेश की सूचना योग्य अधिवक्ता को दी जावे। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। 8- पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सुरेन्द्र माहेश्वरी) सदस्य	